<u>न्यायालय चतुर्थ अपर जिला जज, बहराइच।</u>

ओमप्रकाश सिंह आदि---बनाम---राकेश कुमार सिंह

UPBH010053522018

<u>सिविल अपील संख्या–३९/२०१८</u>

<u>३०.०५.२०२२</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी जयेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र क–५७ पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी जयेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा अन्तर्गत आदेश ६ नियम १७ व धारा १५१ सी०पी०सी० के तहत प्रार्थनापत्र क–५७ प्रस्तुत किया गया है जिसमें माध्यम से कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आधेश १ नियम १० सी०पी०सी० में टाइपिंग की गलती से उनवान न्यायालय "पंचम" लिख गया है तथा अपीलान्ट के स्थान पर "रिवीजनिस्ट" एवं रेस्पान्डेन्ट के स्थान पर "आपत्तिकर्ता" टाइप हो गया है जिसका दुरूस्त होना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना की गयी है कि आदेश १ नियम १० सी०पी०सी० के प्रार्थनापत्र के उनवान में "न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज" के बाद शब्द "पंचम" कलमजद करने व उसके स्थान पर "चतुर्थ" लिखने की अनुमति व उनवान प्रार्थनापत्र में ही ओमप्रकाश आदि के आगे लिखा शब्द "रिवीजनिस्ट" कलमजद करने व "अपीलान्ट्स" लिखने एवं राकेश कुमार सिंह के आगे लिखा शब्द "आपत्तिकर्ता" कलमजद करने व "रेस्पान्डेन्ट" लिखने की अनुमति दी जाये। समर्थन में शपथ पत्र ग–५८ दिया गया है।

अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र का मौखिक रूप से विरोध किया गया।

आवेदक एवं उभयपक्ष के तर्कों को सुनने के बाद मै यह पाता हूँ कि प्रार्थनापत्र लिपिकीय त्रुटि से सम्बन्धित है और इसे स्वीकार किये जाने से प्रस्तुत अपील के शीघ्र निस्तारण में मदद मिलेगी। जहां तक अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की आपत्ति का प्रश्न है इस हेतु हर्जा लगाया जा सकता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र क–५७ रूपये २,००/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आवश्यक संशोधन अंदर तीन दिवस किया जाये। पत्रावली दिनाँक १२.०७.२०२२ को प्रार्थनापत्र निरस्तारण क–५० हेतु पेश हो।

(मनोज कुमार मिश्रा–II)
चतुर्थ अपर जिला जज,
बहराइच।
(J.O.Code-01710)